

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर

पत्रांक/हाजीपुर

दिनांक

पुनः अल्पकालीन बन्दोबस्ती सूचना संख्या – 03/2026-27

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मल्लिकपुर शाखा नहर के विभिन्न क्षेत्रों / खन्तों में (नहर बेड को छोड़कर) मतस्य पालन एवं मछली मारने की बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 15.06.2026 को 11:00 बजे दिन में खुले डाक के माध्यम से अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल संख्या -1, गोरौल द्वारा कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर के कार्यालय कक्ष में किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर बन्दोबस्ती में भाग लें।

क्र० स०	क्षेत्र / खन्तों का विवरण	न्यूनतम निर्धारित डाक की राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	अवधि	तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6
01	मल्लिकपुर शाखा नहर के वि० दु० 11.00 से 17.00	314600.00	31500.00	तीन वर्षों के लिए	प्रथम तिथि 15.06.2026 को 11:00 बजे दिन। प्रथम तिथि को डाक नहीं होने पर द्वितीय तिथि 22.06.2026 को 11:00 बजे दिन।
02	मल्लिकपुर शाखा नहर के वि० दु० 42.00 से 49.00	11200.00	1200.00	तीन वर्षों के लिए	द्वितीय तिथि को डाक नहीं होने पर तृतीय तिथि 30.06.2026 को 11:00 बजे दिन।

- विशेष जानकारी के लिए नियम एवं शर्तें बेबसाइट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

Mojammar Imam
25/05/26
(ई० मोजफ्फर इमाम)
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर

25/05/26

नियम एवं शर्तें

1. सक्षम पदाधिकारी द्वारा बीड के स्वीकृति के पश्चात बीडदाता को एक मुश्त राशि (प्रथम वर्ष का) उसी समय जमा कर देना होगा। बीडदाता की व्यक्तिगत जबाबदेही होगी कि नियम एवं शर्तों के कंडिका (14) से सम्बन्धित 100.00 (एक सौ) रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निलामी तिथि से एक दिन पूर्व जमा करना होगा। बीडदाता द्वारा दिए गए बीड की मान्यता सफल बीडदाता के बंदोबस्ती की अवधि 2026-27, 2027-28, 2028-29 (31.03.2029) अर्थात् तीन वर्षों के लिए होगा।
2. यह बन्दोबस्ती तीन वर्षों के लिए होगी। प्रथम वर्ष में बोली गई उच्चतम डाक की राशि में 10% प्रतिशत प्रतिवर्ष जोड़कर अगले दो वर्षों में जमा करना होगा।
3. इच्छुक बीडदाता को क्षेत्र के सामने अंकित अग्रधन की राशि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में डाक की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले कार्यवधि में जमा कर रसीद प्राप्त कर लेना होगा।
4. प्राकृतिक प्रकोप / मछली की बीमारी या अन्य कारणों से मछली की क्षति होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
5. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी एक अथवा सभी बीडदाताओं के बीड को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसके लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. नहर के पानी बर्बादी करने पर अनुबंध रद्द करते हुए संबंधित बीडदाता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
7. अग्रधन की राशि जमा करते समय पहचान पत्र (चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित पहचान-पत्र) की छाया प्रति जमा करना होगा।
8. अनाधिकृत रूप से खन्तों में मछली पालने अथवा मछली मारते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
9. बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले इच्छुक बीडदाता को बीड में भाग लेने हेतु डाक के तिथि से एक दिन पूर्व (कार्यालय अवधि में) निम्न दस्तावेज जमा करना होगा।
(क) आवदेन पत्र (ख) अग्रधन की राशि
(ग) शपथ-पत्र मूल में (घ) आधार कार्ड अथवा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र।
10. उच्चतम बोलीदाता को बोली गई उच्चतम राशि को उसी समय जमा करना होगा। बोली गई उच्चतम राशि उसी समय नहीं जमा करने पर अग्रधन की राशि जब्त करते हुए दूसरे उच्चतम बीडदाता को राशि जमा करने हेतु मौका दिया जायेगा। बोली गई उच्चतम राशि नहीं जमा होने तक इसी तरह का क्रम आगे जारी रहेगा। अन्ततः न्यूनतम निर्धारित राशि से उच्चतम बोली दाता की बोली गई पूरी राशि जमा करने पर बन्दोबस्ती कर दी जायेगी।
11. बन्दोबस्ती राशि बैंक ड्राफ्ट/नगद भी प्राप्त किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से हो तथा हाजीपुर में भुगतये हो।
12. बन्दोबस्ती बोली के समय असंतुलित बोली (न्यूनतम निर्धारित राशि से 50 प्रतिशत अधिक) होने पर बोली गई डाक की राशि उसी समय अर्थात् बोली के समय ही जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त करते हुए असंतुलित बोलीदाता के बोली को अमान्य कर दिया जायेगा तथा डाक की बोली से बाहर कर दिया जायेगा एवं अगले बोलीदाता को बोली का मौका देते हुए क्रम जारी रहेगा।
13. बन्दोबस्ती की पूरी प्रक्रिया का विडियोग्राफी होगा।
14. बीडदाता को निम्नरूप में शपथ - पत्र देना होगा -

"मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम एवं पता)

.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्रीग्राम-

.....पो0-.....थाना-.....जिला-.....पिन-..... शपथ पूर्वक

घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली गई उच्चतम डाक की राशि के आधार पर निर्धारित की गई दूसरे एवं तीसरे किस्त की राशि निर्धारित समय-सीमा जो अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से दो माह पूर्व का होगा को ससमय जमा कर दूँगा अन्यथा नीलामी क्षेत्र/खन्ता का बन्दोबस्ती को अमान्य करते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए निलामी किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं कोई दावा नहीं करूँगा।"

Munir H. J.
25/05/26

(ई0 मोजफर इमाम)

कार्यपालक अभियंता

तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर

25/05/26

पत्रांक933/हाजीपुर

दिनांक 25/05/26

प्रतिलिपि :- जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ किन्ही दो हिन्दी एवं दो अंग्रेजी समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित। पड़ोसी राज्य के प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित कराने की भी कृपा की जाय।

Muhammad Iqbal
25/05/26

(ई0 माजफ्फर इमाम)

कार्यपालक अभियंता

तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर

100000
25/05/26